# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़

## पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0नं0 36 / अपील / 22 तारीख दायरा 16.11.2022

उनवान अपील

01. प्रभुलाल पिता लक्षमीनारायण
02. शान्तिबाई पत्नी प्रभुलाल
03. प्रेमचन्द पुत्र प्रभुलाल
04. चौथमल पुत्र प्रभुलाल अकवाम धाकड़ निवासीयान नूरपुरा तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राजस्थान .....(अपीलांट्स)

बनाम

01. बालचन्द पिता पूरा जाति बलाई, मेहर (हरिजन) निवासी खेरिया थाना सोयत कला नायब तहसील सोयत कला तहसील सुसनेर वर्तमान जिला आगर म0प्र0
02. बद्रीलाल पिता पूरा जाति बलाई, मेहर (हरिजन) निवासी खेरिया तहसील सुसनेर वर्तमान जिला आगर म0प्र0
03. राधेश्याम पिता पूरा जाति बलाई, मेहर (हरिजन) निवासी खेरिया तहसील सुसनेर वर्तमान जिला आगर म0प्र0 हाल निवास पचपहाड़ तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राज0
04. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज0

.....(रेस्पोंडेण्ट्स)

अपील बनाराजगी निर्णय तहसीलदार सुनेल दिनांक 07.09.2022 प्रकरण संख्या 01 / 2022 अन्तर्गत धारा 183बी राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री विरेन्द्र सिंह सोनगरा अभिभाषक अपीलांट

श्री अजीत सिंह झाला अभिभाषक रेस्पो0

जिला कलक्टर झालावाड़

–निर्णय– दिनांकः 30.07.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील सुनेल ने अपने निर्णय दिनांक 07.09.2022 में अपीलांट को ग्राम नूरपुरा तहसील सुनेल के खाता संख्या 87 की आराजी ख0 नं0 164 रकबा 2.0614 हैक्टेयर में से लगभग 0.3161 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का अवैधानिक कब्जा एवं रेस्पों0 को

अनुसूचित जाति (बलाई, मेहर) मानकर तुरंत बेदखल कर मौके पर कब्जा प्रार्थीगण/अपीलांट को दिये जाने के आदेश दिये है, से आहत होकर अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील सुनेल से प्रकरण से सम्बंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से वकील श्री अजीत सिंह झाला का वकालतनाम प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस उभयपक्षकारान रखी गई।

पत्रावली में वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार सुनेल द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह बिना सुनवाई किये, रेकार्ड एवं मोके की स्थिति को जांचे बगैर अपीलांट को विवादाग्रस्त प्रश्नगत आराजी से बेदखली के आदेश पारित किये है वह विधि सम्मत नहीं है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.09.2022 निरस्त किया जावे। तत्पश्चात वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार सुनेल द्वारा पारित निर्णय आर टी एक्ट की धारा 183बी के तहत किया गया है जो किसी भी रद्दोबदल का मोहताज नहीं है, वह सही है, विधि सम्मत है अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली में वकील उभपक्षकारान की बहस सुनी, प्रस्तुत अपील में उपलब्ध रेकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह स्पष्ट है कि तहसीलदार सुनेल द्वारा पारित निर्णय आरटी एक्ट की धारा 183बी के तहत अनुसूचित जाति की भूमि पर अन्य सुवर्ण जाति का कब्जा होना अवैधानिक एवं अतिक्रमी की श्रेणी आता है जिसके तहत अतिक्रमी को तुरन्त बेदखल किये जाने का प्रावधान है, रेस्पो0 जो कि जाति से बलाई (मेहर) है जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, तहसीलदार सुनेल द्वारा अपीलाधीन पारित निर्णय दिनांक 07.09.2022 सही है, विधि सम्मत है जिसमें यह न्यायालय किसी भी तरह का रद्दोबदल करना उचित नहीं समझता है अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/7

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़